

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग
सचिव, तकनीकी सेवा आयोग
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

पटना, दिनांक 13.1.2022

विषय— प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में।

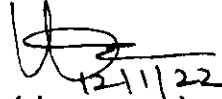
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(8) निम्नवत् है—

“प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या-6519 दिनांक-10.09.2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। परन्तु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम तीन अवसरों की सीमा लागू रहेगी।”

2. उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरान्त अधिकतम तीन अवसरों की सीमा होगी। किन्तु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी।

विश्वासभाजन,


12/11/22
(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।